एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

भारत के अग्रणी एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन में समृद्धि लाना

भूमि संसाधन विभाग

भारत सरकार - ग्रामीण विकास मंत्रालय
(आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित विभाग)

भारत सरकार के अग्रणी कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) ने 26 फरवरी, 2009 से कार्य करना शुरू किया। इसे रिज से घाटी दृष्टिकोण के अनुसरण में बंजर भूमि सहित वर्षासिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों के विकास हेतु भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2012-17 की अवधि के लिए आईडब्ल्यूएमपी का परिव्यय 29,296 करोड़ रूपये है। इस कार्यक्रम के वर्ष 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की लागत में केन्द्र और राज्यों की भागीदारी है।

आईडब्ल्यूएमपी के तहत क्रियाकलाप

i. वर्षा जल संचयन सहित मृदा और नमी संरक्षण
ii. वानिकी, बागवानी, चरागाह विकास और पशुधन विकास सहित कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप
iii. आय सृजन क्रियाकलापों के माध्यम से आजीविका क्रियाकलाप
iv. उत्पादन प्रणाली में सुधार और सूक्ष्म उद्यम
v. क्षमता संवर्धन और जागरूकता कार्यक्रम
vi. परियोजना की आयोजना, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में समुदाय की भागीदारी

उद्देश्य

आईडब्ल्यूएमपी के मुख्य उद्देश्य मृदा, वनस्पति क्षेत्र और जल जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके प्रत्याशित परिणाम हैं : मृदा क्षरण की रोकथाम, प्राकृतिक वनस्पति पुन: उगना, वर्षा जल संचयन और भूजल का पुनर्भरण। इससे बहुफसलन और विविध कृषि आधरित क्रियाकलाप करने में सहायता मिलती है जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतत आजीविका मुहैया कराना आसान होगा।

आईडब्ल्यूएमपी के तहत, वाटरशेड विकास की सभी स्तरों पर व्यावसायिक सहायता के साथ समर्पित संस्थाओं, सम्पत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका, उत्पादन प्रणालियों और सूक्ष्म उद्यमों, हितधारकों के क्षमता निर्माण और निगरानी एवं मूल्यांकन पर अधिक बल देने जैसे नए घटकों को शामिल करके एक सम्पूर्ण वाटरशेड - प्लस दृष्टिकोण के रूप में पुनर्संरचना की गई है।

इसके वाटरशेड-प्लस दृष्टिकोण में, आईडब्ल्यूएमपी सतत विकास सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने की भावी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण समुदाय की क्षमता बढ़ाने में कार्य कर रहा है।

लक्ष्य

निरूपित किया जाने वाला कुल क्षेत्र लगभग 116 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से 85 मिलियन हेक्टेयर वर्षासिंचित है और 31 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि है। 31 दिसम्बर, 2014 तक, कुल 50,739 करोड़ रूपए की लागत से 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 8214 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं हैं। ये परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

राज्यों के लिए लक्ष्य आबंटन के मानदंड

(i) देश के कुल डीपीएपी क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में राज्य में चिन्हित डीपीएपी (सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम)/डीडीपी (मरूभूमि विकास कार्यकम) क्षेत्र;

(ii) देश में कुल निरूपित किए जाने योग्य बंजरभूमि के प्रतिशत के रूप में राज्य में कुल निरूपण योग्य क्षेत्र;

(iii) देश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी;

(iv) देश में कुल जोते गए क्षेत्र की तुलना में राज्य में वर्षासिंचित क्षेत्र का प्रतिशत;

(v) पूर्वोत्तर राज्यों के 10 प्रतिशत अनिवार्य आबंटन

संस्थागत व्यवस्थाएं

आईडब्ल्यूएमपी के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर संस्थागत व्यवस्था इस प्रकार है:-

(i) **राष्ट्रीय स्तर:** वाटरशेड परियोजनाओं के प्रभावी और व्यावसायिक प्रबंधन के लिए **भूमि संसाधन विभाग** के पास संचालन समिति के रूप में आवश्यक संस्थागत तंत्र है।

(ii) **राज्य स्तर:-** व्यावसायिक सहायता के साथ एक **राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए)** गठित की गई है जिसमें राज्य में आईडब्ल्यूएमपी के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी एक पूर्ण - कालिक सीईओ शामिल है। इसी प्रकार, **जिला स्तर** पर, **वाटरशेड सेल-व-डाटा केन्द्र, (डब्ल्यूसीडीसी)** आईडब्ल्यूएमपी के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक परियोजना का क्रियान्वयन **परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए)** द्वारा किया जाता है। पीआईए में गैर-सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) और सरकारी विभाग शामिल हैं। प्रत्येक पीआईए में एक वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) है जिसमें तीन-चार बहु-विषयक तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। पंचायत स्तर पर, **वाटरशेड समितियां (डब्ल्यूसी)** परियोजना क्रियान्वित करती हैं। डब्ल्यूसी में कम से कम 10 सदस्य होते हैं जिनमें से आधे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), प्रयोक्ता समूहों (यूजी), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्य, महिलाएं और भूमिहीन लोग होते हैं। डब्ल्यूडीटी, इस कार्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन में वाटरशेड समिति की सहायता करता है।

अधिक जानकारी के लिए www.dolr.nic.in पर सम्पर्क करें

आईडब्ल्यूएमपी की खास विशेषताएं

- **बहुविषयक विशेषज्ञों के साथ समर्पित संस्थाएं:** मंत्रालय स्तर पर संचालन समिति; राज्य स्तरी नोडल एजेंसी; जिला वाटरशेड सेल-व-डाटा केन्द्र; परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए)
- **ग्राम - स्तरीय वाटरशेड समिति** लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी।
- **प्रत्येक परियोजना का आकार** लगभग 5000 हेक्टेयर (सूक्ष्म वाटरशेडों का समूह) लगागत मानदंड: दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में 15000 रूपये प्रति हेक्टेयर; आईएपी (समकित कार्य योजना) जिलों में 15000 रूपये प्रति हेक्टेयर तक; अन्य क्षेत्रों में 12,000 रूपये प्रति हेक्टेयर। परियोजना अवधि: 4 - 7 वर्ष
- आईटी, सुदूर संवेदन और जीआईएस का उपयोग करके **वैज्ञानिक आयोजना।** परियोजना निधि के 5 प्रतिशत का आबंटन करके क्षमता संवर्धन पर जोर देना।
- क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए **स्वतंत्र पक्ष द्वारा समवर्ती निगरानी**। परियोजना निधि का 1 प्रतिशत निगरानी के लिए ओर 1 प्रतिशत मूल्यांकन के लिए।
- भूमिहीन व्यक्तियों की आजीविका के लिए **परियोजना निधि का 9 प्रतिशत** और उत्पादन प्रणाली तथा सूक्ष्म उद्यमों के लिए **परियोजना निधि का 10 प्रतिशत**।

****